

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.6१19१ नविनि/89/पार्ट

जयपुर, दिनांक:- 18-03-02

: परिपत्र :

इस विभाग के समस्तसक परिपत्र दिनांक 13.12.2001 के अंतिम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है:-

* यदि भूमि अधाप्ति के अर्दाई में शामिल 15 प्रतिशत विकसित भूखण्डों का बाजार मूल्य 25 लाख रुपये से अधिक है तो ऐसे मामले राज्य सरकार को त्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाएंगे।

१
रव. रत. भारद्वाज
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, समस्त माननीय मंत्री गण।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
5. समस्त सभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/कोटा।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करें।
10. समस्त सचिव, नगर विकास न्यास,।

शासन उप सचिव

लेखराज/